

कार्यालय विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल

दूरभाष-कार्यालय: 0755-2674228, 2573906, ई-मेल: pccfcampa@mp.gov.in

क्रमांक/कैम्पा/391/637

भोपाल, दिनांक 26-04-18

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2. समस्त संचालक राष्ट्रीय उद्यान
मध्यप्रदेश

विषय:-वन क्षेत्र में **exotic** प्रजातियां न लगाने तथा RET प्रजातियों को प्रोत्साहन देने बाबत।


संदर्भ:-प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-विकास) का पत्र क्रमांक/एफ-02/1121 दि. 02.05.2016

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि क्षतिपय वनमंडलों में क्षतिपूर्ति रोपण के तहत नीलगिरी तथा केशिया सियामिया आदि **exotic** प्रजातियों का रोपण किया गया है। ऐसी प्रजातियों का रोपण क्षतिपूर्ति रोपण योजना के मूल उद्देश्य के विपरीत हैं। क्षतिपूर्ति रोपण का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक वन को सीमित समय में स्थापित करना है। अतः क्षतिपूर्ति रोपण में स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण के साथ स्थानीय प्रजातियों के रोपण पर विशेष बल दिया जावे। इस संबंध में संदर्भित पत्र का भी अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्रानुसार RET प्रजातियों एवं ग्रामीण समुदाय के उपयोग एवं जीवकोपार्जन में आने वाली प्रजातियों यथा महुआ, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, चिरौंजी, ईमली इत्यादि के न्युनतम दस प्रतिशत पौधे रोपण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे तथा अधीनस्थ क्षेत्रीय अमले को भी निर्देशों से अवगत कराया जावे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।



(एम.के.सपरा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक/कैम्पा/391/638

भोपाल, दिनांक 26-04-18

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी तथा संयुक्त वन प्रबंध/वन विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)।
3. समस्त वनमंडलाधिकारी क्षेत्रीय मध्यप्रदेश तथा उप संचालक/संयुक्त संचालक राष्ट्रीय उद्यान।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
मध्य प्रदेश, भोपाल